

प्रेसनोट – 01.09.2026

दुष्कर्म /पाक्सो के मामले में वांछित एक नफर अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सत्येन्द्र भूषण तिवारी के कुशल निर्देशन में थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 01.09.2026 को नदवा सराय अन्डरपास के पास से मु0अ0सं0- 370/26 धारा 64(1), 333, 351(2) बीएनएस व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अजीत चौहान पुत्र दिनेश निवासी ग्राम मुजड़ाड़ थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0- 370/26 धारा 64(1), 333, 351(2) बीएनएस व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता

1. अजीत चौहान पुत्र दिनेश निवासी ग्राम मुजड़ाड़ थाना घोसी जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक

1. दिनांक- 01.09.2026

2. स्थान- नदवा सराय अन्डरपास के पास

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 01.09.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानों द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1. थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त मुहम्मद उमर पुत्र स्व0 रेयाज अहमद निवासी ग्राम इमामगंज भटकुआ पट्टी थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।

अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 01.09.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 34 टीम गठित कर जनपद के 34 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1310 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 338 वाहनों को विभिन्न धाराओं में चालान किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानों पर पार्किंग नहीं करें तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें ।

#ऑपरेशन कन्विकशन के तहत मारपीट कर गाली गुप्ता देते हुए उक्त वादी की सीकड़ी छीनने वाला 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1,000 /- रु० के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित ।

पुलिस महानिदेशक उ० प्र० के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत मु०अ०सं० 433/2007 धारा-323,504,506,394,427,437,452 भादवि थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ की साक्ष्यपरक विवेचक एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 01.09.2026 को मा० न्यायालय द्वारा मारपीट कर गाली गुप्ता देते हुए उक्त वादी की सीकड़ी छीनने वाला अभियुक्त बृजभूषण पुत्र दधिबल निवासी हकीकतपुर थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को न्यायालय उठने तक की सजा व 1,000/- रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।